

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

बनाम श्रीताराम
किरम मुकदमा 7.5 मु0न0 86/28

तारीख हुक्म

15/5/24

प्राथमिकी के लिये कमील उक्तपत्र रूप में मूल वादपत्र
व्यापारिक सिमा का पुका हो इसलिए जायना
पर अन्तर्गत निर्दिष्ट व्यापारिक सिमा प्राप्त हो
प्राथमिकी के लिये मुताबिक होकर नम्बर से
कम हो

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)